



2026:AHC-LKO:19946

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438

दंड प्रक्रिया संहिता संख्या - 165 सन 2026

मूर्तजा

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह
उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	नृपेंद्र मिश्रा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लावणिया

1. पुकार लगायी गई। आदेश पत्र से स्पष्ट है कि नोटिस तामील किए जाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों में और इस न्यायालय के दिनांक 13.03.2026 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कहा गया है कि "यह स्पष्ट किया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख पर, बीमारी सहित किसी भी आधार पर मामले को स्थगित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं किया जाएगा और पहली सुनवाई में ही उचित आदेश पारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 के प्रतिकूल आदेश भी शामिल हो सकता है", न्यायालय ने मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाई।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया, जिन्होंने आज न्यायालय में प्रति-शपथ-पत्र दाखिल किया है और उसे अभिलेख में ले लिया गया है, साथ ही अभिलेख में रखी गई सामग्री का अवलोकन भी किया गया है।

3. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक द्वारा धारा 376 भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत वाद संख्या 223 / 2023, थाना खैरीघाट, जिला बहराइच के संबंध में दायर की गई है।

4. दिनांक 24.02.2026 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने आवेदक के हित की रक्षा की थी। संदर्भित दिनांक 24.02.2026 का आदेश इस प्रकार है:-

“(सी.एम. आवेदन संख्या 0 / 2026 पर आदेश (पक्षकार बनाने का आवेदन)

1. सुनवाई हुई।
2. धारा 376 भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत परिवाद संख्या 223/2023 की पीड़ित एक्स को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में शामिल करने का अनुरोध, जिसका कोई विरोध नहीं किया गया, स्वीकार किया जाता है।
3. अनुरोध स्वीकार किया जाता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को धारा 376 भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत परिवाद संख्या 223 / 2023 की पीड़ित एक्स, थाना खैरीघाट, जिला बहराइच, को आज की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है।

(अग्रिम जमानत आवेदन पर आदेश)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शाशकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
6. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट / मुकदमा अपराध संख्या 223 / 2023, थाना खैरीघाट, जिला बहराइच के संबंध में दायर की गई है।
7. वर्तमान आवेदन पर विचार करने और आवेदक के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, इस न्यायालय ने आज उपस्थित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बताए गए मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- (i) पीड़िता / अभियोक्ता का विवाह 22.08.2023 से लगभग एक वर्ष पूर्व, यानी उस तिथि से पहले हुआ था, जिस दिन पीड़िता / अभियोक्ता ने धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रज्जाब अली को प्रतिवादी बनाते हुए एक आवेदन दायर किया था। यह आवेदन मुकदमा संख्या 291/11/2023 के रूप में पंजीकृत हुआ और ग्राम न्यायालय, नानपारा, बहराइच (संक्षेप में 'मजिस्ट्रेट') द्वारा 10.09.2023 को इस पर निर्णय लिया गया।
 - (ii) पीड़िता / अभियोक्ता द्वारा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर आवेदन में उल्लिखित मामले के अनुसार, उसे 25.07.2023 को अपना ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।
 - (iii) परिवाद संख्या 223 / 2023 (श्रीमती सबरू बनाम रज्जाब अली और अन्य) के अनुसार, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी, 323, 504, 506, 452 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत पुलिस स्टेशन खैरीघाट, जिला बहराइच में 30.08.2023 को शाम लगभग 4:00 बजे दर्ज की गई थी, आवेदक ने अपने भाई (पीड़िता के पति) के साथ पीड़िता के वैवाहिक घर में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किए थे।
 - (iv) परिवाद संख्या 223 / 2023 (श्रीमती सबरू बनाम रज्जाब अली और अन्य) के अनुसार, कथित घटना के दिन पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष थी। हालाँकि, धारा 125(3) दंड

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा संख्या 291/11/2022 में, पीड़िता / अभियोक्ता 22.08.2023 को लगभग 23 वर्ष की थी।

(v) परिवाद का मामला पीड़िता / अभियोक्ता की माँ (आवेदक के छोटे भाई की पत्नी) द्वारा वैवाहिक विवाद निपटाने सहित एक कुटिल उद्देश्य से दर्ज किया गया है।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह वचन दिया है कि आवेदक मुकदमे में सहयोग करेगा।

9. विद्वान अपर शाशकीय अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया।

10. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया है कि आवेदक के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

11. तदनुसार, अंतरिम उपाय के रूप में, यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी-आवेदक - **मुर्तजा** को उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा कर दिया जाए, बशर्ते वह 25,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती संबंधित पुलिस स्टेशन / न्यायालय के स्टेशन हाउस ऑफिसर की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ: -

(i) कि अभियुक्त-आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा तथा जांच में सहयोग करेगा;

(ii) कि अभियुक्त-आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और

(iii) कि अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

12. प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। तीन कार्य दिवसों के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. इस मामले को प्रेषित रिपोर्ट सहित 13.03.2026 को शीर्ष 20 मामलों में सूचीबद्ध किया जाए।

14. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे इस आवेदन के जवाब में एक शपथ-पत्र दाखिल करें, जिसमें अगली बार मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को दी गई जानकारी का प्रमाण संलग्न करें।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अभिलेख से यह साबित नहीं कर सके कि जमानत आवेदन में उल्लिखित कोई भी प्रतिकूल तथ्य मौजूद है। न्यायालय ने पाया कि मामले की खूबियों पर विचार करने के बाद आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई तथ्य भी नहीं बता सके जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आवेदक ने जांच कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है या कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य जो मामले की खूबियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सके।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, इस अग्रिम जमानत आवेदन को **अनुमति** दी जाती है और आवेदक **मूर्तजा** को मुकदमे के निस्तारण तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत दी जाती है:-

(i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव / धमकी नहीं देगा।

7. चूक की स्थिति में, जांच एजेंसी इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकती है।

[न्यायमूर्ति सौरभ लावणिया]

मार्च 18, 2026

अरुण/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।